

अनुमति प्रमाण पत्र, सम्बन्धित गाम पंचायत के ग्राम प्रधान/सउपंच के नेटर हेड पर बारी किया जाना है।

### अनुमति प्रमाण पत्र

मेरे नाम से- अ-इश्वर  
 गाम प्रधान/सरपंच- गाम पंचायत विश्वनाथ विकास  
 खंड- पुर्वा जनपद- ३-न्नाव  
 प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती  
 (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती  
 सत्यम् (पिता/माता का नाम), निवासी  
 विश्वनाथ (गाम पंचायत का नाम), जिसका  
 आधार संख्या ७९७० ८४४९ ४२९। (आधार संख्या) है, ने हमारी  
 गाम पंचायत विश्वनाथ में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/प्लॉनिंग  
 और रखरखाव में न्यूनतम २ वर्षों तक कार्य किया है।

मेरे प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।  
 यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मेरे स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगा।

दिनांक: १२/१२/२०२५

प्रधान  
 गाम पंचायत- विश्वनाथ  
 वि.ख. पुर्वा- उन्नाव  
 हस्ताक्षर और मुहर  
 गाम प्रधान/सरपंच का नाम  
 (गाम पंचायत)